पर दिया गया है। जो सभा पटल पर रखा गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—2294/78]। 1977-78 के दौरान विभिन्न एककों में उत्पादन में कमी के कारण विवरण II में दर्शाये गये हैं। जो सभा पटल पर रखा गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—2294/78]। विभिन्न एककों में स्थापित क्षमता के ईष्टतम उपयोग के लिए हाथ में ली गई योजनाओं को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण-पत्र परिशिष्ट-III में दिया गया है।

वातानुकूलित तथा प्रथम श्रेणी के डिब्बों पर प्रति यात्री खर्च

9789. **श्री अनन्त राम जायसवाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल गाड़ियों में वातानुकूलित तथा प्रथम श्रेणी के डिब्बों पर प्रति यात्री खर्च द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में प्रति यात्री खर्च से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो वातानुकूलित प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के डिब्बों पर यह खर्च अलग-अलग कितना है;

(ग) वित्त वर्ष 1977-78 के दौरान वातानुकूलित प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में अलग-अलग बैठने की क्षमता और वास्तविक बैठने वालों की संख्या का परस्पर अनुपात क्या है ; और

(घ) क्या सरकार वर्ष 1978-79 के दौरान द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में यात्रियों की भारी भीड़ को कम करने तथा यात्रियों को और अधिक सुविधायें देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और 10 अप्रैल, 1978 तक किन गाड़ियों में उक्त सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) वातानुकूल पहला दर्जे और दूसर दर्जे की बोगियों पर होने वाले वास्तविक खर्च के आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि यात्रा के विभिन्न दर्जों के लिए अलग से लेखा नहीं रखा जाता और इसीलिए तुलना करना संभव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अखिल भारतीय आधार पर दर्जेवार स्थान के उपयोग के आंकड़े नहीं रखे जाते।

(घ) अतिरिक्त गाड़ियां चलाने और वर्तमान गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाने की व्यवस्था सुलभ साधनों के भीतर ही की जाती है। अब यह विनिश्चय किया गया है कि लंबी दूरी की सभी नई गाड़ियों में केवल दूसरे दर्जे की व्यवस्था रहेगी। अप्रैल, 78 से लागू समय सारिणी में 26 नई गाड़ियां चलायी गई है और 19 गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया है।

इसके अलावा यह भी विनिश्चय किया गया है कि विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण गाड़ियों मे पहले दर्जे के दो बोगियों को बदलकर उनके बदले एक वातानुकूल शयन-यान और एक दूसरे दर्जे का साधारण शयन-यान लगाने की व्यवथा की जाये।

Recruitment through U.P.S.C.

9790. SHRI SARAT KAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that number of ad-hoc appointments were made in the North-Eastern and Northern Railway during the years 1975-76 and 1976-77; and

(b) if so, what are the reasons for not adopting the normal procedure of recruitment through the Railway Service Commission?